

5/8/21

पत्रावली आज जनरल पत्रों के साथ
हुई। पत्रावली का अवलोकन करने
पर पाया गया कि साप्लास का पत्र
पत्र नं. 9 दि० 26/9/2017 को खारिज
किया जा चुका है। कत. कादेश दिनांक
26/9/17 के आधार पर प्रकरण
गलत रूप से चल रही कादेशिका का
क्षोप किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
निपटण सिटी (कौली)



वकूलाय उपरिथत/पी/सी/जी अधिकारी.....

पधारे हैं नतानुसार दिनांक.....को पेश हों।